दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

DR . RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांक संख्या : लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2020 / 1427 दिनांक : 15/07/2020

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा **दिनॉक 14.07.2020** एवं विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(6) के अन्तर्गत कुलपति महोदय की अनुमति **दिनॉकः 15.07.2020** से **राजर्षि रणन्जय सिंह आसलदेव महाविद्यालय, पीपरपुर, अमेठी** को **स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं सैन्य विज्ञान अतिरिक्त विषयों परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों** में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनॉकः 01.07.2020 से आगामी **एक वर्ष** हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. सस्था / महाविद्यालय के सम्बन्ध में इंगित समस्त कमियों (यथा–प्रवक्ता अनुमोदन) को 31 अगस्त, 2020 (स्नातक) / दिनॉकः 15 अक्टूबर, 2020 (परास्नातक) तक पूर्ण करते हुए प्रपत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
2. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्याः 2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. सूची में जिन संस्थानों / महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो का निराकरण किया जायेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरंतर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम मे वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णतः तथा उनकी निरंतरतरा को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
6. महाविद्यालय समय–समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा, अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
7. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–421 / सत्तर–1–2050–16(20) / 2011 दिनॉकः 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रकिया सुनिश्चित की जायेगी।
8. मानकानुसार शिक्षकों की निरंतरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉकः 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनॉक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा संचालन पूर्व संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते हुए नियुक्ति अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से दिनॉकः 31 अगस्त, 2020 (स्नातक हेतु) / दिनॉकः 15 अक्टूबर, 2020 (परास्नातक हेतु) उपलब्ध कराया जायेगा।
10. College must take sincere interest and ensure accreditation from NAAC, Bangalore on a priority basis.

भवदीय

उप–कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्धक, **राजर्षि रणन्जय सिंह आसलदेव महाविद्यालय, पीपरपुर, अमेठी।**
2. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
3. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग--इन पर अपलोड कराये जाने हेतु।
4. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
5. पत्रावली।

उप–कुलसचिव
15/7/2020